संख्या- 90/2017/656/69-1-17-14(139)/2015

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 21 जून, 2017

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास(शहरी) मिशन योजनान्तर्गत स्टेट लेबल टेक्निकल सेल (एस0 एल0टी0सी0) तथा सिटी लेबल टेक्निकल सेल (सी0एल0टी0सी0) के गठन एवं पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4019/01/29/एचएफए-4/2016-17, दिनांक 23.11.2016, पत्र संख्या-4073/01/29/एचएफए-4/2016-17, दिनांक 25.11.2016 एवं पत्र संख्या-313/01/29/एचएफए-7/2017-18, दिनांक 04.05.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन अन्तर्गत स्टेट लेबल टेक्निकल सेल (एस0एल0टी0सी0) एवं सिटी लेबल टेक्निकल सेल (सी0एल0टी0सी0) के गठन तथा एस0एल0टी0सी0 में रखे जाने वाले विशेषज्ञों यथा-अरबन प्लानर/टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट, हाउसिंग फाइनेन्स एण्ड पालिसी स्पेशलिस्ट, म्यूनिसिपल/सिविल इंजीनियर, पी0पी0पी0 स्पेशलिस्ट, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, सोशल डेवलपमेन्ट स्पेशलिस्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग/इन्स्टीटूयूशनल स्ट्रेन्थनिंग स्पेशलिस्ट, एम0आइ0एस0 स्पेशलिस्ट, आई0ई0सी0 /नॉलेज मैनेजमेण्ट स्पेशलिस्ट एवं प्रोक्योरमेण्ट स्पेशलिस्ट के 01-01 पद अर्थात् कुल 10 पद एवं सी0एल0टी0सी0 में रखे जाने वाले विशेषज्ञों यथा-म्यूनिसिपल/सिविल इंजीनियर के 75 पद, सोशल डेवलपमेन्ट स्पेशलिस्ट के 75 पद, एम0आइ0 एस0 स्पेशलिस्ट के 75 पद, म्यूनिसिपल फाईनेन्स स्पेशलिस्ट के 21 पद तथा अरबन प्लानर/टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट के 04 पद अर्थात् कुल 250 पद की स्वीकृति एवं उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से विशेषज्ञों को रखे जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान करते हैं:-

1. योजनान्तर्गत उपरोक्त पदों की योग्यता, शैक्षिक अर्हता एवं कार्य-अनुभव का निर्धारण भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों (गाइड लाइन्स) के अनुरूप किया जायेगा।
2. उक्त पदों के लिये निर्धारित पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी।
3. एस0एल0टी0सी0 एवं सी0एल0टी0सी0 हेतु ए0 एण्ड ओ0 ई0 (प्रशासनिक व्यय) की धनराशि उस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्राप्त ए0सी0ए0 की धनराशि से 01 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
4. योजना समाप्ति के पश्चात अनुमन्य पद स्वतः समाप्त माने जायेंगे।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-856/दस-2017, दिनांक 19.06.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

क्रमशः.....2

संख्या-90 /2017/656(1)/69-1-17-14(139)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से

20.04.2017

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in